पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1/प्रा०आ०–0–3–48/13–27/आ०प्र० दिनांक 06.09.2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उप मुख्य शीर्ष–02–बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–109–खराब जल–पूर्ति, जल–निकास तथा मल–जल कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना, उप शीर्ष–0001–क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, नालों एवं मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मति एवं प्रत्यास्थापन, विपत्र कोड संख्या एन०2245021090001 मद् में 10.00 लाख (दस लाख) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2013–14 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मांग संख्या–39, विषय शीर्ष–27 01–लघु कार्य,

(राशि :–रुपये में)

क्रमांक	उपावंटित पदाधिकारी का पद नाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्त्तमान उपावंटित राशि	योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01.	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व, पटना।	**0.00**	**78000.00**	**78000.00**	
02.	अंचल अधिकारी, पटना सदर।	**0.00**	**71000.00**	**71000.00**	
	कुल उपावंटित राशि :–	**0.00**	**149000.00**	**149000.00**	
	जिला में आवंटन के रूप में सुरक्षित	**0.00**	**851000.00**	**851000.00**	
	कुल योग	**0.00**	**1000000.00**	**1000000.00**	

1. यह उपावंटन चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उप मुख्य शीर्ष–02–बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–109–खराब जल–पूर्ति, जल–निकास तथा मल–जल कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना, उप शीर्ष–0001–क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, नालों एवं मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मति एवं प्रत्यास्थापन मद् में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. यह राशि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व, पटना के पत्रांक 2137 दिनांक 22.10.13 तथा अंचल अधिकारी, पटना सदर का पत्रांक 5006 दिनांक 05.09.13 तथा 5938 दिनांक 26.10.13 के आलोक में उपावंटित की जा रही है।

3. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। उपावंटित राशि की निकासी यथा संभव Fully Vouched विपत्र पर ही कोषागार से की जाय। किसी भी स्थिति मे राशि की निकासी ए०सी० विपत्र पर न की जाय।

4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक ही उप शीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

5. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561(बी० 2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2014 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे अन्यथा इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-21/2013 1482 /आ०प्र०, दिनांक 14/XI/13

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व, पटना/अंचल अधिकारी, पटना सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर/बाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।